FORM No. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर , उच्चैन (भरतपुर)

**मुकेश कुमार बनाम घमण्डी वगै0**

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र **212 आर.टी.ए.** नं0.....09.....सन् 2026

| हुक्म तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 12.05.2026 | प्रार्थी/प्रार्थीगण के अभिभाषक ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत पेश किया है। प्रकरण दर्ज रजि0 हो।<br>प्रार्थी/प्रार्थीगण के अभिभाषक को सुना गया। वक्त दौराने सुनवाई प्रार्थी/प्रार्थीगण के अभिभाषक ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी/प्राथीगण के योग्य अभिभाषक के तर्कों पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी/प्रार्थीगण के हक में होना प्रतीत होता है।<br>अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थाई निषेधज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 627, 10, 1060, 11, 116, 117, 136, 145, 155, 159, 160, 183, 200, 209, 227, 284, 285, 305, 312, 313, 315, 352, 371, 386, 526, 535, 544, 618, 75, 8, 811, 9, 929, 977 बाके ग्राम बसेरी तहसील उच्चैन में प्रार्थी के बनने वाले हिस्से तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यदि इस आज्ञा बाबत् कोई उज्र हो तो नियत दिनांक 11.06.2026 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें। आदेश 39 नियम 3(ए)(1)(2)(3) व 3(ब) की पालना प्रार्थी द्वारा की जावे। अप्रार्थी/अप्रार्थीगण की तलवी हेतू 7 दिवस के अन्दर रजिस्टर्ड तलवाना पेश करें अन्यथा जारीशुदा अन्तरिम अस्थाई निषेधज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। अप्रार्थी/अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिर्स्टड नोटिस की जावे। पत्रावली दिनांक 11.06.2026 को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर<br>उच्चैन (भरतपुर) | |
| 19/05/26 | आज यह पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। उक्त पत्रावली से संबंधित मूल प्रकरण की वादी के प्रा0 पत्र पर किसी किसी पक्ष की आपत्ति दी जा चुकी है अतः उक्त प्रा0 पत्र का कोई औचित्य नहीं है अतः उक्त प्रकरण में की जा रही कार्यवाही इसी स्तर पर बंद की जाती है। पत्रावली दैनिक श्रेणी में नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। | मुकेश कुमार<br>प्रार्थीगण<br>19/5/26<br>सहायक कलक्टर<br>उच्चैन (भरतपुर) |